न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 90/17 तारीख रजू– 06/11/17

1– कैलाश पुत्र कल्याराम उर्फ कल्याण जाति धोबी आयु 50 साल पेशा काश्तकारी निवासी खेडलीकलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर । ------निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– बदरी लाल पुत्र रामनारायण जाति मीना आयु 50 साल निवासी खेडली तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।

2– ग्राम पंचायत रामड़ी जरिये सरपंच ग्राम पचायत रामडी तहसील सवाई माधोपुर।

--अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक–15/X/18

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत रामड़ी के पट्टा सं0 1 में पारित निर्णय दिनांक 05/09/11 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अप्रार्थीगण 2 ने अप्रार्थीगण 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत रामड़ी द्वारा पट्टा सं0 1 में पारित निर्णय दिनांक 05/09/11 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते बहस न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सबंधित समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की गई है। जो न्यायोचित नहीं है, जबकि उक्त वाद आराजीयात पर वर्षो से हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। सम्वत् 2067 अर्थात 2010–11 तक के खसरा परिवर्तनशील में निगरनी कर्ता का नाम अंकित है। परन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने साज कर उक्त भूमि को आबादी में अंकित कर एक आवासीय पट्टा अप्रार्थी सं0 1 के नाम जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की सारी कार्यवाही अर्थात राशि जमा कराना पट्टा बनाना पट्टा देना एवं कब्जा देना आदि एक ही दिनांक 05/09/11 को कर दिये जिससे स्पष्ट है कि कार्यवाही आपसी मिली भगत से ही की गई है, साथ ही वकील निगरानीगुजार द्वारा उक्त पट्टा दिनांक 05/09/11 निरस्त हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा उप पंजीयक सवाई माधोपुर द्वारा रजिस्टर्ड है तथा रजिस्टर्ड पट्टा खारिज करने का अधिकार अदालत हाजा को नहीं है। अतः निगरानीगुजार की निगरानी अस्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05/09/2011 यथावत रखने का निवेदन किया गया ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त वाद आराजीयात का पट्टा रजिस्टर्ड है एवं रजिस्टर्ड पट्टा खारिज करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः मेरे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रामड़ी द्वारा पट्टा सं0 1 में पारित निर्णय दिनांक 05/09/11 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.X.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर